

कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक/ 2109 /अ-82/2021-22/2023

कोण्डागांव, दिनांक 14/07/2023

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि ग्राम-लखापुरी, तहसील-मर्दापाल व्यपवर्तन अन्तर्गत भंवरडीग नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पट्टुच मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन-

1. जिला - कोण्डागांव
2. तहसील - मर्दापाल
3. ग्राम - लखापुरी
4. भूमि का क्षेत्रफल - 9.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
18/1	0.146	0.020
18/2	0.145	0.020
18/3	0.146	0.020
17	0.129	0.060
77/18	0.168	0.024
23,26,15/1,77/49	5.661	0.264
77/17	0.121	0.080
77/143	0.405	0.016
77/40	0.405	0.044
77/71	0.202	0.036
77/60	1.619	0.145
77/72	0.121	0.024
77/73	0.081	0.008
77/81	0.121	0.012
योग-14	9.470	0.773

- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपक सोनी)

कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक/2/09-अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023 कोण्डागांव, दिनांक/4/07/2023
प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
2. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
3. तहसीलदार मर्दापाल को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-लखापुरी, कार्यालय जनपद पंचायत कोण्डागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।



(दीपक सोनी)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग